भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अधिसूचना

28 सितम्बर 2011

सं० ित० वि० नि० (स्था०)22 / 2011—629—मंत्रिमण्डल सिचवालय विभाग के अन्तर्गत सिविल विमानन निदेशालय के राजकीय वायुयान संगठन में कार्यरत श्री दीपक कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक—सह—अपर मुख्य विमान चालक, (वेतनबैंड 15600—39100 ग्रेड पे 7600 रुपये) को उक्त संगठन में अपर निदेशक—सह— वरीय अपर मुख्य विमान चालक (वेतनबैंड 37400—67700ग्रेड पे 8900 रुपये) कें पद पर अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रोन्नति दी जाती है।

2. इन्हे पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उपेन्द्र कुमार, अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट, 30—571+120-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचनाएं

10 अक्तूबर 2011

सं० 2/स्था0-01-46/2010/3539/आ0प्र0—आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005(2005 का 53) की धारा-14 एवं 78 में प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल आपदा प्रबंधन (राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदाविध और सेवा की शर्ते तथा भत्तों की संदाय) नियमावली 2008 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।- (1) यह नियमावली आपदा प्रबंधन (राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें तथा परामर्शदातृ समिति के सदस्यों की भत्तों का संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2011 कही जा सकेगी।
 - (2) यह नियमावली तुरंत प्रवृत्त होगी:
 - परंतु प्राधिकार के विद्यमान उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के मामले में यह उनके अपने पद पर योगदान की तिथि से प्रवृत्त समझी जाएगी।
- 2. आपदा प्रबंधन (राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदाविध और सेवा की शर्ते तथा भत्तों का संदाय) नियमावली -2008 के नियम 4 का उप-नियम (v) निम्निलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-
 - (v)(a) राज्य प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में नामित व्यक्ति अपने लिए निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन कर सकेगा :-
 - (i) बिहार सरकार में मुख्य सचिव कोटि के पदाधिकारियों को अनुमान्य वेतन (यदि सेवा-निवृत्त पदाधिकारी हों तो पेंशन की रकम घटाकर), महंगाई भत्ता, आवास किराया भत्ता (सरकारी आवास नहीं मिलने पर), चिकित्सा सुविधाएँ, यात्रा भत्ता, यात्रा रियायत भत्ता तथा अखिल भारतीय सेवाएँ (अवकाश) नियमावली-1955 के अनुसार सरकारी सेवकों को अनुमान्य अवकाश;

अथवा

- (ii) बिहार राज्य के मंत्री को अनुमान्य वेतन, दैनिक भत्ता एवं पेंशन (यदि सेवा-निवृत पदाधिकारी हों तो महंगाई राहत घटाकर) एवं बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली 2006, समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसार मंत्री को अनुमान्य आवास, चिकित्सा सुविधाएँ एवं यात्रा-भत्ता।
- (b) राज्य प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नामित व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से निम्न विकल्प का चयन कर सकते हैं:-

(i) बिहार सरकार में प्रधान सचिव को अनुमान्य वेतन (यदि सेवा-निवृत पदाधिकारी हों तो पेंशन की रकम घटाकर), महंगाई-भत्ता, आवास, चिकित्सा सुविधाएँ, यात्रा-भत्ता, यात्रा रियायत भत्ता तथा अखिल भारतीय सेवाएँ (अवकाश) नियमावली-1955 के अनुसार सरकारी सेवकों को अनुमान्य अवकाश;

अथवा.

(ii) बिहार राज्य के राज्यमंत्री को अनुमान्य वेतन, दैनिक भत्ता एवं पेंशन (यदि सेवा-निवृत पदाधिकारी हों तो महंगाई राहत घटाकर) एवं बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली- 2006, समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसार राज्य मंत्री को अनुमान्य आवास, चिकित्सा सविधाएँ एवं यात्रा-भत्ता।

परंतु, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात् उनके वेतन एवं भत्ते अथवा अन्य सेवा शर्तों में उनके हित विरुद्ध कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

> बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रामरूप सिंह, संयुक्त सचिव।

The 10th October 2011

No 2/ਇਬਾ0-01-46/2010/3539-D.M—In exercise of Powers conferred by section-14 &78 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Disaster Management (Term of Office and Conditions of Service of Members of the State Authority and Pay and Allowances to Members of Advisory Committee) Rules, 2008:-

- 1. Short title, extent and commencement .—(1) These rules may be called Disaster Management (Term of Office and Conditions of Services of Members of the State Authority and Pay and Allowances to Members of Advisory Committee) (Amendments) Rules -2011.
 - (2) It shall come into force at once:

 Provided that in case of existing vice chairman and members of the authority, it shall be deemed to be come into force from their dates of assuming their posts.
- 2. The sub-rule (v) of rule 4 of the Disaster Management (Term of Office and Condition of Service of Members of the State Authority and Pay and Allowances to Members of Advisory Committee) Rules, 2008 shall be substituted by the following:-
 - "(v)(a) A person nominated as the Vice-Chairman of the State Authority shall exercise his option to choose either:-
 - (i) pay (less pension in case of a retired officer), dearness allowance, House Rent Allowance, (in case Govt. accommodation is not available), medical facilities, travelling allowance, leave travel concession as admissible to the officers of Chief Secretary level in the Government of Bihar and leave as admissible to a Government servant under the All India Services (Leave) Rules 1955;

or,

- (ii) Pay, daily allowance as admissible to a Cabinet Minister in the Government of Bihar, and pension (without dearness relief in case of Vice-Chairman who is a retired officer), accommodation, medical facilities and travelling allowance as admissible to a Cabinet Minister of the Government of Bihar in accordance with the Ministers of Bihar (Pay & Allowances) Rules 2006 as amended from time to time.
- **(b)** A person nominated as a full time member of the State Authority shall exercise his/her option to choose either:-
 - (i) Pay (less pension in the case of a retired officer), dearness allowance, House rent Allowance (in case Govt. accommodation is not available), medical facilities, travelling allowance, leave travel concession as admissible to a Principal Secretary

in the Government of Bihar and leave as admissible to a Government servant under All India Services (Leave) Rules, 1955;

or.

(ii) Pay, daily allowance as admissible to a Minister of State in the Government of Bihar, and pension (without dearness relief in case of a Member who is a retired officer), accommodation, medical facilities, travelling allowance as admissible to a Minister of State in the Government of Bihar in accordance with the Ministers of Bihar (Pay & Allowances), Rules 2006, as amended from time to time:

Provided that, the pay and allowances or other service conditions of the Vice Chairman/Member shall not be varied to their disadvantage after their appointment."

By order of the Governor of Bihar, RAM RUP SINGH, *Joint Secretary*.

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

अधिसूचनाएं 10 अक्तूबर 2011

सं० स्था0(मु0)6—6002 / 2009—494—88—सू०ज०स०वि०—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, एतद् द्वारा बिहार सूचना संपादक संवर्ग सेवा में भर्ती की पद्धित एवं सेवा—शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है:-

अध्याय-1 : प्रारंभिक

- **1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ |--** (1) यह नियमावली बिहार सूचना संपादक संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2011 कही जा सकेगी।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह राजपत्र के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
 - 2. परिभाषाएँ I— इस नियमावली में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-
 - (क) 'राज्यपाल' से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल;
 - (ख) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
 - (ग) 'विभाग' से अभिप्रेत है सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग;
 - (घ) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;
 - (ड.) 'सदस्य या सेवा के सदस्य' से अभिप्रेत है बिहार सूचना संपादक संवर्ग सेवा में नियुक्त व्यक्ति;
 - (च) 'अनुसूची' से अभिप्रेत है इस नियमावली में संलग्न अनुसूची; तथा
 - (छ) 'सेवा' से अभिप्रेत है बिहार सूचना संपादक संवर्ग सेवा।
 - 3. **सेवा का गठन** विहार सूचना संपादक संवर्ग के नाम से सेवा का गठन किया जायगा ।
 - 4. सेवा की संरचना |-(1) यह सेवा सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के प्रशासी नियंत्रण में होगा।
 - (2) राज्य सरकार समय—समय पर इसके पदबल का निर्धारण करेगी और स्वीकृत पदों के अतिरिक्त इस सेवा के स्थाई / अस्थाई पदों के सुजन की स्वीकृति दे सकेगी।
 - 5. पद स्थिति |—इस सेवा के बेसिक ग्रेड के सदस्य अराजपत्रित होंगे एवं प्रोन्नित के फलस्वरूप राजपत्रित होंगे।

अध्याय—2 भर्त्ती

- 6. भर्ती का स्रोत ।—इस सेवा के मूल पद (सम्पादक) में भर्ती इस नियमावली के अध्याय—3 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी। शेष उच्चत्तर पद यथा सहायक निदेशक (पत्र—पत्रिका) एवं उप—निदेशक (पत्र—पत्रिका) के पद विभागीय प्रोन्नित समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नित से भरे जाएंगे।
- 7. रिक्तियों का निर्धारण एवं आयोग को सूचित करना |— विभाग प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रील की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना करेगा और इस प्रकार परिगणित रिक्तियों के आधार पर सीधी भर्ती हेतु अधियाचना 30 अप्रील तक आयोग को भेजेगा।
- 8. आरक्षण |— नियुक्ति एवं प्रोन्निति में समय—समय पर निर्धारित राज्य सरकार की आरक्षण नीति एवं रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

अध्याय–3 सीधी भर्त्ती

- 9. आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती |— आयोग विज्ञापन निकाल कर पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त कर अंतर्वीक्षा के आधार पर इस सेवा की मूल कोटि (संपादक हिन्दी एवं उर्द्) में भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर सकेगा।
- **10. पात्रता ।**—इस सेवा की मूल कोटि (बेसिक ग्रेड) में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता अनुसूची—I के अनुसार होगी।
- 11. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा।—बिहार लोक सेवा आयोग निर्धारित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा अथवा/और मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर एक मेधा सूची तैयार करेगा। ऐसी तैयार की गई सूची में से बिहार लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों की उतनी संख्या की अनुशंसा राज्य सरकार को करेगा, जितनी संख्या में रिक्तियाँ अधियाचित की गई हों। बिहार लोक सेवा आयोग से विभाग में प्राप्त अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से मात्र एक वर्ष के लिए वैध होगी।

अध्याय–4 वरीयता एवं प्रशिक्षण

- 12. वरीयता ।—इस नियमावली के अधीन सम्पादक (हिन्दी / उर्दू) के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये सदस्यों की आपसी वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा सूची तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत परिपत्रों /नियमों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
- 13. प्रशिक्षण —इस सेवा के सदस्य को प्रशिक्षण के लिए राज्य में या राज्य से बाहर, विदेश में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अविध के लिए भेजा जा सकेगा। प्रशिक्षण की समाप्ति पर किए गए मूल्यांकन को विभागीय प्रोन्नित समिति द्वारा ध्यान में रखा जा सकेगा।

अध्याय–5 परिवीक्षा एवं सम्पृष्टि

- 14. परिवीक्षा अविध (क) किसी मौलिक रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त कर्मी का पदग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अविध तक की सेवा परिवीक्षाधीन रहेगी।
- (ख) परिवीक्षा अविध के दौरान या उसकी समाप्ति के समय इस सेवा में भर्ती किये गये कर्मी की नियुक्ति समाप्त की जा सकती है, यदि उक्त कर्मी की परिवीक्षा अविध का कार्यकलाप संतोषजनक नहीं हो, अथवा अन्य कारण से इस सेवा में स्थाई नियुक्ति के लिए योग्य नहीं हो।
- 15. सम्पुष्टि I—(क) परिवीक्षा पर नव नियुक्त कर्मी को परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति तथा सम्पुष्टि के लिए अन्यथा योग्य समझे जाने और सेवा के लिए निर्धारित विभागीय परीक्षा उतीर्ण होने पर सम्पुष्ट किया जा सकेगा।
- (ख) नव नियुक्त कर्मी प्रथम वार्षिक वेतनवृद्धि के बाद अगली वेतनवृद्धि विभागीय परीक्षा में उतीर्ण होने पर प्राप्त कर सकेंगे।

अध्याय—6 वेतनमान एवं वेतनवृद्धि

16. वेतनमान —

			वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान
(ক)	संपादक (हिन्दी एवं उर्दू),	-	₹0 5500-9000	रु० 9300—34800 पी०बी०2 ग्रेड पे—4600
(ख)	सहायक निदेशक (पत्र–पत्रिका)	_	रु0 6500−10500	रु० 9300—34800 पी०बी०2 ग्रेड पे—4800,
				convertible to PB2+Grade Pay 5400
(ग)	उप–निदेशक (पत्र–पत्रिका)	_	रु0 10000−15200	रु० 15600—39100 पी०बी०3 ग्रेड पे— 6600

सेवा की विभिन्न कोटि के पदों के वेतनमान अथवा तत्समान पुनरीक्षित वेतनमान राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर यथाघोषित अनुमान्य होंगे।

अध्याय–7 प्रोन्नति

- 17. प्रोन्नित विभागीय प्रोन्नित समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होगा। विभागीय प्रोन्नित समिति का गठन निम्नानुसार होगा—
 - 1. अध्यक्ष
 - 2. सदस्य
 - 3. सदस्य
 - सदस्य (अनुसूचित जाति के सदस्य)
 परन्तु अधिकतम वेतनमान में प्रोन्नित संबंधी विभागीय प्रोन्नित समिति के आलोक में होगी।

अध्याय—8 पदस्थापन

- 18. कार्यक्षेत्र संबंधी अनुबंध |—इस सेवा के सदस्य को कार्य के लिए सरकार के किसी भी विभाग के अधीन बिहार के अन्दर या बाहर किसी भी स्थान पर, पदस्थापित किया जा सकेगा।
- 19. अन्य सेवा शर्त |— (क) इस सेवा के लिए अन्य सेवा—शर्तें यथा : अनुशासनिक कार्रवाई, छूट्टी, देय सेवा निवृत्ति लाभ इत्यादि, जो इस नियमावली से आच्छादित नहीं हैं, या जो इस सेवा के लिए अलग से अधिसूचित नहीं है, राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्गत अन्य सुसंगत नियमावली, आदेश तथा परिपत्रों से नियंत्रित होगी।
- 20. राज्य सरकार को इस नियमावली में विहित प्रावधानों को यथा अपेक्षित संशोधित करने का अधिकार होगा। विभाग इस नियमावली के प्रावधानों को कार्यरूप देने के लिए नियमावली के प्रावधान के अनुरूप प्रक्रिया विनियमावली द्वारा विहित कर सकेगी।
- 21. निरसन एवं व्यावृत्ति (1) इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि से बिहार सूचना संपादक संवर्ग सेवा संबंधी नियुक्ति, प्रोन्नित संबंधी परिपन्न / अनुदेश निरसित समझे जायेंगे।
 (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व की नियुक्ति / प्रोन्नित संबंधी परिपन्न / अनुदेश के अधीन शक्तियों का प्रयोग
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व की नियुक्ति / प्रोन्नित संबंधी परिपत्र / अनुदेश के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।
- (3) इस नियमावली के लागू होने की तिथि के पूर्व से सेवा के विभिन्न पदों जैसा कि नियम—16 में परिभाषित है, पर नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः इस सेवा में शामिल एवं इस नियमावली के अधीन नियुक्त समझे जायेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से, राजेश भूषण, सचिव।

The 10th October 2011

No. स्था०(मु०)6–6002/2009–494–88-I&PRD —In exercise of the powers conferred under the proviso of Article 309 of the constitution of India, the Hon'ble Governor of the State of Bihar, hereby makes the following rules for determining the grounds and process for recruitment and promotion to the post of "Editor" of Information and Public Relations Department.

CHAPTER-1 Preliminary

- 1. Short title, extent and Commencement
 - a. These rules may be called Bihar Information Editor Cadre Service recruitment & conditions rules -2011.
 - b. These rules will be operative in the whole state of Bihar.
 - c. They shall come into force from the date of publication of the notification in the official gazette.
- 2. Definitions- In these rules, unless the context otherwise requires.
 - a. "Governor" means the Governor of Bihar.
 - b. "Government" means Government of Bihar.
 - c. "Department" means the Department of Information And Public Relations Department.
 - d. "Commission" means Bihar State Employees Selection Commission.
 - e. "member or Member of the Service" means person appointed in editor service.
 - f. "Schedule" means- Schedules prescribed with these rules.
 - g. "Service" means Bihar Information Editorial Cadre Service.
- 3. *Constitution of Service.* The cadre shall be constituted in the name of Bihar Information Editor Cadre Service.
 - 4. Service Structure.
 - a. This service will be under the administrative control of Information and Public Relations Department.

- b. The state govt. will determine the strength of posts and may approval for the creation of permanent / temporary posts of this service in addition to the approved posts.
- 5. *Status of posts.* The member of this service will be Non-gazetted.

CHAPTER-2 Recruitment

- 6. Source of Recruitment.— The appointment in basic grade of this service will be through direct recruitment in accordance with chapter -3 of the Rules. The remaining higher posts such as Assistant Director (Magazine) and Deputy Director (Magazine) will be filled by the recommendation of Department Promotion Committee.
- 7. Determination of the vacant posts and to inform the commission.— The department will assess the requirement prevailing on first April of every year after preview of the vacant posts the proposal for direct recruitment would be sent to the commission by 30th April.
- 8. *Reservation.* The reservation policy of the govt. would be implemented in appointment and promotion in this service besides Roaster Clearance would also be taken.

CHAPTER-3

Direct Recruitment

- 9. Direct recruitment through the commission.—The Commission will select the eligible candidates for recruitment in the basic grade (Editor, Hindi & Urdu) of this service by obtaining applications from the eligible candidates through an advertisement, and conducting eligibility examination as per schedule III.
- 10. *Eligibility.* The qualification for this service in basic grade would be according to schedule-1.
- 11. Recommendations of candidates by the commission.— The commission on the basis of the marks obtained in the written examination or/ and oral examination will prepare a merit list. In the list so prepared, the commission will recommend such number of candidates to the state government which has been requisitioned by the state govt. The recommendation of the commission will be valid for one year only.

CHAPTER-4 Seniority and Training

- 12. *Seniority.* Under these rules, the inter se seniority of the Editor (Hindi & Urdu) will be decided on the basis of the merit list recommended by the commission and as per the circulars of General Administration Department issued time to time.
- 13. The member of this service may be sent for training inside or outside the state or abroad for the period determined by the state govt. On the completion of training, the performance evaluation shall be kept in mind by the Departmental Promotion Committee.

CHAPTER-5

Probation and Confirmation

14. Probation Period.—

- a. Two years from the date of the joining of the recruited personnel against the basic vacancy will be the period of probation.
- b. During the probation period or after its completion, the appointment of the recruited personnel may be terminated if the performance of the personnel be unsatisfactory during the probation period or for other reasons if the personnel is not eligible for being made permanent.

15. Confirmation.—

- a. The service of the recruited personnel will be confirmed after his satisfactory performance during the probation period and have passed the departmental examination.
- b. After the first annual increment, the next increment will be available after passing the departmental examination.

CHAPTER-6 Pay scales

16. Pay scale

			Pay scale	Revised pay scale
(a)	Editor (Hindi and Urdu) pay scale	-	Rs.5500-9000	Rs. 9300-34800, PB2 Grade pay- Rs. 4600
(b)	Assistant Director (periodicals) pay scale	-	Rs 6500-10500	Rs. 9300-34800, PB2 Grade pay- Rs.4800, convertible to PB2+Grade Pay 5400
(c)	Deputy Director (periodicals) pay scale	-	Rs 10000-15200	Rs. 15600-39100 PB3 Grade pay- Rs. 6600

The pay scale of the different category of this service or revised pay scale would be admissible by the state govt. from time to time.

CHAPTER-7 Promotion

17. The promotion shall be made on the basis of the recommendation of Departmental Promotion committee.

The constitution of departmental promotion committee:-

- (1) Chairman
- (2) Member
- (3) Member (Sc or St)
- (4) Member

CHAPTER-8

Posting

- 18. *Contract for working sphere.* The members of this service would be deputed in any department of the state govt. or outside the state at any place.
- 19. Other service condition.— The other service condition such as disciplinary action leave, retirement benefit, which has not been mentioned in this service would be in accordance with the circular and other suitable rules and regulations of the state govt. in this regard.
- 20. The state govt. has the power to amend/ alter of any prevision of this service. The department would enact the laws for the prevision of this rule.
 - 21. Commencement and super session
 - a. All orders / instruction relating to appointment/ promotion etc in for the Bihar Information And Public Relations Editorial service rules, issued earlier shall be supersede these policy of the Bihar Bihar Information Editor Cadre Service Rules.
 - b. After super session all the worked any work done or under any circular / orders issued earlier or work done under the rules/ orders relating to

appointment/ promotion would be valid as if this rules were in force in that day or and work due under these rules on that day.

c. The person appointed in this service earlier as described and defined in rule-16, would be assumed to appointed in this service

> By order of the Government of Bihar, RAJESH BHUSHAN, Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट, 30—571+220-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9(ख)

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

सं० 70—मैं दानिश खान, पिता—मो० नेसार खान, निवासी ग्राम—नौडीहा, पो०—नगवांगढ़, थाना—गरूआ, जिला—गया का रहने वाला हूँ आज दिनांक 06 अगस्त 2011 से शपथ पत्र संख्या—04 के माध्यम ये मै, दानिश खान के जगह पर मो० दानिश खान जाना जाऊँगा।

दानिश खान

सूचना

No.71—Satyam, S/o Prof. P.K.Poddar will hereafter be known and called as satyam Poddar, In every manner as per the order in affidavit issued by the court of Executive Magistrate, Patna Sadar vide no. 8785, dated 9th July 2011.

Satyam.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट, 30—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in